

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल 2016—चैत्र 23, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ 1-12-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

शीर्षक "अट्ठावन—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग" के अधीन, भाग (इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"1. संचालनालय, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ 1-12-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-12-2015-एक-(1), दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, 12th April 2016

F-1-12-2015-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule,—

Under the heading “LVIII—Horticulture and Food Processing Department” in part ‘(C) Directorates and Offices coming under the Department’, for serial number 1 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

“1. Directorate of Horticulture and Food Processing.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
K. K. KATIYA, Addl. Secy.